

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2013 / 11-सी-FP/UP/Road/118819/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 05, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज सं०-०.०० से २०.१५० तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित १४.५६०३ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ७५८ पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-२९४१/मी०क्षे०/३३, दिनांक ३१.१२.२०२१
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-२ के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है। अतः परियोजना में पातन हेतु वृक्षों का व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड करें।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-१०३ से १०४ पर संलग्न लीज से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें तथा ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से डिलिट भी करें।
5. ऑनलाइन भाग-२ के क्रमांक-१३(i) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली ८.०००३ हे० गैर वनभूमि का क्षेत्रफल एवं खसरा सं० गलत फीड किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल ८.०००३ हे० एवं खसरा सं०-४४७कमि फीड करें।
6. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail के क्रमांक-१६ से TSP and Special Plantation APO Format को डिलिट करें।
7. तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग-अलग पी०डी०एफ० फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल की पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की ०३ प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को ०३ प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2013 / 11-सी-FP/UP/Road/118819/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।